फाइल संख्याएवी 13011/5/2017 (आरसीएस)/एमओसीए
नागर विमानन मंत्रालय

राजीव गांधी भवन
नई दिल्ली 110003
दिनांक : 24 मई, 2020

आदेश

अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा पर 25 मार्च, 2020 से प्रतिबंध स्थापित किएगए हैं। अब सरकार द्वारा 25 मई, 2020 (गृह मंत्रालय के दिनांक 20 मई, 2020 के आदेश के अनुसार) से यात्रियों के लिए अंतर्देशीय विमान सेवाएं प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार नागर विमानन मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञों भागीदारों के साथ परामर्श करके आवश्यक सुरक्षा के समावेश के साथ विमान यात्रियों एवं प्रमुख भागीदारों {चयनित एयरलाइन प्रचालकों, हवाईअड्डों, सुरक्षा एजेंसियों, स्थल संचलन एजेंसियों तथा स्वास्थ्य प्राधिकरण इत्यादि} के लिए सामान्य अनुदेश एवं विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.5.2020 के आदेश संख्याएवी 29017/5/2020-डीटी के माध्यम से सीमित विस्तार के साथ 25 मई 2020 से अंतर्देशीय विमान सेवाएं प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है।

2. क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना - उड़ान भारत सरकार का एक ध्वजारोही कार्यक्रम है जिसके माध्यम से देश के दूरस्त क्षेत्रों में रहने वाले सामान्य नागरिकों को वहनीय विमान सम्पर्कता प्रदान एवं नागरिकों को वहनीय विमान सेवाएं प्रदान की गई हैं। छोटे शहरों / कस्बो, तक विमान सम्पर्कता के लाभ पहुंचने का सुनिश्चय करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना - उड़ानों के संबंध में निम्नलिखितव्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया है:-

- क. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों (पूर्वोत्तर क्षेत्र,पर्वतीय राज्य तथा द्वीपसमूह) केप्रचालनात्मक मार्गों पर प्रचालन प्रारम्भ करने की अनुमति दी गई है।
- ख. सभी प्रचालनात्मकहैलीकाप्टरों के लिए प्रचालन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है।
- ग. शून्यवीजीएफ (व्यवहार्यता अंतर निधियन) वाले सभी प्रचालनात्मक मार्गों के लिए प्रचालन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है।
- घ. 500 किलोमीटर तक की स्टेज दूरी के सभी प्रचालनात्मक मार्गों पर प्रचालन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है।
- ङ चयनित एयरलाइन प्रचालकों (एसएओ) को उपर्युकत वर्गों में शामिल उड़ान योजना के अंतर्गत आबंटित मार्गों (सीप्लेन सहित) पर प्रचालन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है।
- च. व्यवहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) की सहायता के बिना प्रचालन करने के इच्छुक चयनित एयरलाइन प्रचालक अधिकतम 500 किलोमीटर तक की स्टेज दूरी वाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना के पर्यटन मार्गों (टी-आरसीएस) अथवा क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना के मार्गों

पर प्रचालन कर सकते हैं तथापि, संबंधित मार्गों पर योजना दस्तावेज के अनुसार अन्यप्रोत्साहनों की प्राप्ति संविदा अवधि के दौरान जारी रहेगी।

छ. चयनित एयरलाइन प्रचालकों को सम्बद्ध चयनित एयरलाइन प्रचालक करार के अंतर्गत ऐसे मामलों में 500 किलोमीटर से अधिक स्टेज दूरी वाले क्षेत्रीय सम्पर्कता मार्गों पर ऐसे मामलों में अनुमति प्रदान की जा सकेगी जब :-

क. ऐसे मार्ग (मार्गों) पर विमान को ऐसे नेटवर्क के लिए पुन: तैनात किया जाना आवश्यक हो जो उपर्युक्त वर्गों के अंतर्गत क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना के अन्य सभी मार्गों के लिए हो।

ख. ऐसे क्षेत्रीय सम्पर्कता मार्गों का प्रचालन न किए जाने की स्थिति में ऐसे मार्गों से हवाईअड्डे (हवाईअड्डों) की सम्पर्कता योजना दस्तावेज के अनुसार असेवित हो सकती हो।

ज. निकट भविष्य में होने वाली सीमित मांग एवं व्यवहार्यता अंतर निधियन के इष्टतम उपयोग के विचार से चयनित एयरलाइन प्रचालक प्रति सप्ताहन्यूनतम 3 उड़ान तथा सम्बद्ध करार के अंतर्गत अधिकतम बारम्बारता की लोचकता को अपनी अनुसूची में उपयोग करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, चयनित एयरलाइन प्रचालकों को नेटवर्क में से टर्नकेटिड मार्गों पर तथा नेटवर्क पर क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना मार्गों की सम्बद्धता ऊपर उल्लिखित वर्गों से होने की स्थिति में नए नेटवर्कों पर प्रचालन करने की लोचकता प्रदान की गई है।

झ. क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना - उड़ान की उड़ानों के लिए नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 21 मई, 2020 के आदेश के अंतर्गत सूचित अनुमोदित ग्रीष्मअनुसूची से 1/3 क्षमता के साथ अतिरिक्त अनुमति प्राप्त है।

ण. अनुमोदित मार्गों की सूची क्षेत्रीय सम्पर्क योजना कक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा चयनित एयरलाइन प्रचालकों, नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो एवं संबंधित राज्य / संघ शासित सरकारों के लिए समय समय पर जारी की जाएगी।

ट. इन उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा समय समय पर की जाएगी तथा प्रगति के आधार पर आगामी निदेश सूचित किए जाएंगे।

ठ. सभी चयनित एयरलाइन प्रचालकों से यह अपेक्षित है कि वे नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.5.2020 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उड़ानों के प्रचालन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया का अनुसरण करें।

ड. यह आदेश 3 माह की अवधि अथवा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले आगामी आदेशों, जो भी पहले हो, के लिए लागू होंगे।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

हा/0

(उषा पाढ़ी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, वाणिज्य मुख्यालय को चयनित एयरलाइन प्रचालकों की अनुसूची को आदेश के अनुसार प्रभावी करने के अनुरोध के साथ प्रेषित
2. ना.वि.महानिदेशालय, नई दिल्ली को चयनित एयरलाइन प्रचालकों की अनुसूची को आदेश के अनुसार प्रभावी करने के अनुरोध के साथ प्रेषित
3. महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नई दिल्ली
4. माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के वैयक्तिक सचिव
5. सचिव, नागर विमानन
6. वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार/ संयुक्त सचिव एवं आर्थिक सलाहकार /संयुक्त सचिव (एसकेएम)/संयुक्त सचिव (आरए) / संयुक्त सचिव (एडी), नागर विमानन मंत्रालय
7. संबंधित राज्य / संघ शासित प्रदेश सरकार
8. सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष, नागर विमानन मंत्रालय को नागर विमानन मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी करने के लिए प्रेषित